



Neutral Citation No. - 2026:AHC:66537

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2944/2026

सत्यजीतआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: इंद्र देव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन एस.एस.टी. संख्या 95/2020 (राज्य बनाम सत्यजीत), जो मुकदमा अपराध संख्या 787/2017, धारा 363 आई.पी.सी., और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना बिसरख, जिला गौतमबुद्ध नगर से उत्पन्न हुआ है, मैं इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस मामले में आरोप पत्र वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया था और समय बीतने के साथ विचारण शुरू हुआ जिसमें पीड़िता का बयान पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में दर्ज किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने कहा है कि आवेदक सहित अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध लंबे समय से गैर-जमानती वारंट चल रहा है, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपर्युक्त तर्कों के उत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि भले ही सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई हो, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध (एम्बार्गो) होगा। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आशा देवी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 4564/2024, निर्णय दिनांक 12.11.2024) के एक रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 6 से 9 पर भरोसा जताया गया है, जो इस प्रकार है: -

"6. अपीलकर्ता और मृतक के बीच संबंध विवाद में नहीं हैं। स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह अभी भी हिरासत में है। यह कहना गलत है कि दी गई अंतरिम सुरक्षा के अनुसरण में, अपीलकर्ता विवेचना में सहयोग नहीं कर रही थी और वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा विवेचना प्राधिकारी को भेजे गए संचार के बावजूद, विवेचना प्राधिकारी ने उसे विवेचना में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

8. जहाँ तक सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत घोषणा की स्थिति में अग्रिम जमानत पर विचार करने की बात है, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

9. जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता का प्रश्न हो, तो इस न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसके आधार पर ऐसी उद्घोषणा जारी की गई थी। यह कहना पर्याप्त है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है, इस शर्त पर कि अपीलकर्ता आगे की विवेचना में सहयोग करेगी। हालांकि, विपक्षियों को उस स्थिति में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का उल्लंघन होता है या यदि गवाहों के प्रति कोई खतरा महसूस होता है।"

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में यह निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आशा दुबे (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित उपर्युक्त कानून के प्रस्ताव पर विचार करते हुए कि ऐसा नहीं

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में जब आवेदक के विरुद्ध कुछ प्रक्रियाएं जारी की गई थीं, वह पारिवारिक स्थिति (गर्भवती) में थी और संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थी, यह न्यायालय इसे अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- सत्यजीत की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के समापन तक संबंधित न्यायालय के संतोषजनक 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i) आवेदक अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों को डराएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका आवेदक पर आरोप है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों को बताने से न रुके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

एस. अली

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"